न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 86 / 2025

1 सुरेन्द्र पुत्र सुवालाल जाति मेघवंशी निवासी ग्राम बस्सी तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 संजय कुमार पुत्र प्रहलादराम
2 हंसा देवी पुत्री प्रहलादराम
3 सचिन कुमार पुत्र प्रहलादराम
समस्त जाति मेघवंशी निवासीगण सीमारामजी का मौहल्ला महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस / प्रार्थीगण

4 प्रहलादराम पुत्र तिलोका जाति मेघवंशी निवासी सीतारामजी का मौहल्ला, महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
5 पटवारी पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
6 उप पंजीयक श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
7 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस / अप्रार्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 05.06.2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार आरएएस प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सं. 12 / 2024 बउनवानी संजय कुमार बनाम प्रहलादराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह खर्रा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुशीला कुमावत , अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

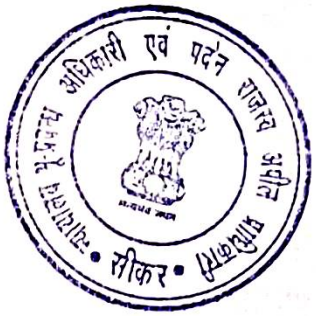

—निर्णय—

दिनांकः— 22/5/26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 12/2024 में पारित निर्णय दिनांक 05.06.2025 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि 2050 वाके ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 2050 रकबा 0.77 है. तन ग्राम महरोली रेस्पोडेन्ट संख्या 4 प्रहलादराम के एकाकी खाते कब्जे काश्त की भूमि रही है जिसे उसके द्वारा अपीलाधीन आवेदन दायरी के काफी समय पूर्व ही अपीलान्ट को जरिये विक्रय पत्र बेचान कर दिया गया। जिसकी पालना रेस्पोडेन्ट संख्या 4 रेस्पोउेन्ट संख्या 1 ता 3 का पिता ने अपीलान्ट से भारी प्रतिफल राशि प्राप्त करके संपूर्ण भूमि का कब्जा काश्त उसी दिन अपीलान्ट को संभला दिया था। विवादित आराजी का बेचान किये जाने में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 की पूर्ण सहमति रही है और विवादित भूमि को बेचान से प्राप्त प्रतिफल राशि का उपयोग रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 ने संयुक्त परिवार की विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम में लिया गया है। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 4 द्वारा बहैसियत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कर्ता विवादित भूमि का बेचान अपीलान्ट को पारिवारिक विधिक आवयकताओं की पूर्ति के लिए किया गया होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 भी उक्त बेचान से पाबन्द है। कानूनन पारिवारिक विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बेचान की जाने वाली कृषि भूमि के बाबत निष्पादित पंजीकृत करवाये गये विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा अवैध घोषित करवाये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 को विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद व आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निर्णय करते समय जिन 3 बिन्दूओं प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन का निर्धारण करना होता है का उनका सही रूप से एवं पृथक रूप से विवेचन व विश्लेषण एवं मूल्यांकन नहीं किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अपीलान्ट रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार को अवैध रूप से जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया गया है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश कानूनी स्थिति के विपरित होने के कारण निरस्त होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि 2050 वाके ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। राजस्व रिकार्ड व दस्तोवजात यथा जमाबंदी संवत 2074–77 ककी दो जमाबंदियां, 2044, खसरा नक्शा व जमाबंदी भू–प्रबंध विभाग द्वारा प्रमाणांकन के लिए पर्चा नोटिस व रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांकित 21.03.2024 की फोटोप्रति इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2050 रकबा 0.7700 है. की खातेदारी पूर्व में प्रहलादराम पुत्र तिलोका जाति मेघवंशी के नाम होना तथा उक्त खातेदर प्रहलाद राम के द्वारा उक्त भूमि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

का बेचान सुरेन्द्र पुत्र सुवालाल जाति बलाई को रजिस्टर्ड विक्रय लेख के द्वारा किये जाने पर खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा प्रमाणांकन के लिए पर्चा नोटिस भी तिलोका पुत्र भूराराम मेघवंशी सा. देह के नाम जारी होना तथा जमाबन्दी संवत 2044 में भी खातेदारी तिलोका पुत्र भूराराम मेघवंशी सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिससे उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 प्रहलाद राम को अपने पिता तिलोका से जरिये विरासतन प्राप्त होने से उक्त वादग्रस्त भूमि का पैत्रिक भूमि होना राजस्व रिकार्ड से प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होने से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख के द्वारा किया जाना प्रमाणित है। उक्त वादग्रसत भूमि के पैतृक भूमि होने व प्रार्थीगण के अप्रार्थी संख्या 1 के जायन्दा पुत्र/पुत्री होने से उक्त वादग्रस्त भूमियों में प्रार्थीगण का हित निहित होना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का बैचान अप्रार्थी संख्या 2 को किये जाने एवं उक्त बैचान में प्रार्थीगण की सहमति बतौर विक्रय लेख पर हस्ताक्षर नहीं होने से वादग्रस्त भूमियों में प्रार्थीगण का हित प्रभावित होना प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रार्थीगण का वादग्रस्त विरासतन पैत्रक भूमि में प्रथम दृष्टया हित निहित होने व दावे में उनका हक अधिकार तय होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रकट होने व इससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाने से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होना भी प्रकट होता है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि 2050 वाके ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विधि में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए तीन घटक निर्धारित किये गये है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन व विश्लेषण कर निर्धारण किये बिना पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु का निर्धारण कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2026 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 22/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर